अभियान) द्वारा समस्त ग्रामीण विद्यालयों को 500 रू. प्रतिमाह की दर से 5000 रूपये वार्षिक (10 माह हेतु) शौचालय/मूत्रालय, पेयजल सुविधा के रख–रखाव तथा मध्याह्न भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का वितरण प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

2. प्रत्येक विद्यार्थी की "शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम" के अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच की जाए तथा रिकॉर्ड संधारित किया जाए।

➢ कालांशवार समय विभाजन :–

प्रतिदिन 8 कालांश में से ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन विद्यालय संचालन समयानुरूप अग्रांकित विवरणानुसार कालांशवार समय विभाजन चक्र रहेगा। प्रार्थना सभा तथा मध्यान्तर, प्रत्येक हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है।

समय सारिणी :–

एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	विवरण	ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन	शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन
1	समयावधि	1 अप्रेल से 30 सितम्बर	1 अक्टूबर से 31 मार्च
2	विद्यालय समय	7:30 बजे से 1:00 बजे तक (कुल 5:30 घंटे)	10:00 बजे से 4:00 बजे तक (कुल 6:00 घंटे)
5	प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास	7:30 बजे से 7:55 बजे तक (25 मिनट)	10:00 बजे से 10:25 बजे तक (25 मिनट)
6	प्रथम कालांश	7:55 बजे से 8:30 बजे तक (35 मिनट)	10:25 बजे से 11:05 बजे तक (40 मिनट)
7	द्वितीय कालांश	8:30 बजे से 9:05 बजे तक (35 मिनट)	11:05 बजे से 11:45 बजे तक (40 मिनट)
8	तृतीय कालांश	9:05 बजे से 9:40 बजे तक (35 मिनट)	11:45 बजे से 12:25 बजे तक (40 मिनट)
9	चतुर्थ कालांश	9:40 बजे से 10:15 बजे तक (35 मिनट)	12:25 बजे से 1:05 बजे तक (40 मिनट)
10	मध्यान्तर	10:15 बजे से 10:40 बजे तक (25 मिनट)	1:05 बजे से 1:30 बजे तक (25 मिनट)
11	पंचम कालांश	10:40 बजे से 11:15 बजे तक (35 मिनट)	1:30 बजे से 2:10 बजे तक (40 मिनट)
12	षष्ठम कालांश	11:15 बजे से 11:50 बजे तक (35 मिनट)	2:10 बजे से 2:50 बजे तक (40 मिनट)
13	सप्तम कालांश	11:50 बजे से 12:25 बजे तक (35 मिनट)	2:50 बजे से 3:25 बजे तक (35 मिनट)
14	अष्टम कालांश	12:25 बजे से 01:00 बजे तक (35 मिनट)	3:25 बजे से 04:00 बजे तक (35 मिनट)

➢ **नोट :–** शैक्षिक गुणवत्ता के लिए मुख्य विषयों के लिए शिक्षण का कार्य यथासंभव प्रथम छः कालांश में निर्धारित किया जाए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहशैक्षिक गतिविधियों यथा–खेलकूद, वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध–लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

1. जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी/ आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारम्भिक/ माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–

www.rajteachers.com